रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 912] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939
No. 912] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

का.आ. 1024(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा उक्त उपवाक्य के उद्देश्य के लिए विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, जोकि केंद्र सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, को इस बोर्ड को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट से होने वाले आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:—

(क) केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान (राजस्व या पूंजी)

(ख) बैंकों में जमा सेविंग या फिक्स्ड डिपॉजिट से प्राप्त होने वाला ब्याज

(ग) उन संस्थानों से बिना खर्च हुई वापस की राशि जिसको कि इस विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड ने पहले अनुदान के रूप में दिया हो; और

(घ) अन्य आय जोकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अंतर्गत रसीद से प्राप्त राशि और कवाड़ की बिक्री से प्राप्त आय के रूप में।

2. इस अधिसूचना के प्रावधान इस शर्त के साथ लागू होंगे कि विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड,-

(क) किसी अन्य वाणिज्यिक क्रियाकलाप में संलग्न नहीं होगा;

(ख) के क्रियाकलाप और इस तरह की विनिर्दिष्ट आय के स्वरूप में पूरे वित्तीय वर्षों में कोई बदलाव नहीं होगा; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (छ) के प्रावधानों के अनुसार अपना आयकर रिटर्न भरेगा।

3. इस अधिसूचना के लिए यह माना जाएगा कि यह वित्तीय वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के लिए लागू हुई है।

[अधिसूचना सं. 24/ 2017/फा. सं.196/15/2013-आईटीए-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

स्पष्टीकरण ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने पर किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.04.01 14:50:01 +05'30'